



Neutral Citation No. - 2026:AHC:169673

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 8700/2026

रोहित पटेल एवं 3 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अभिषेक सिंह, अमित कुमार यादव, अनुज श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए., विभु राय

न्यायालय संख्या- 69

माननीय न्यायमूर्ति अवनिश सक्सेना

1. अभियुक्त-आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री भेषज पुरी, सूचक के विद्वान अधिवक्ता श्री विभु राय तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. विचारण के लंबित रहने के दौरान, आरोपी-आवेदक **रोहित पटेल, रोहित राजभर, रामकलेश्वर पटेल और वीरेंद्र राजभर** द्वारा मामला अपराध संख्या 142/2025, अंतर्गत धारा 3(5), 109(1), 191(2), 115(2), 351(3), 352 बीएनएस, थाना- रेवतीपुर, जिला- गाजीपुर में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु वर्तमान जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. आरोपी-आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आरोपी-आवेदकों को 30.10.2025 को दर्ज एफआईआर में झूठा फंसाया गया है। यह एफआईआर घायल व्यक्ति के बेटे ने 11 नामजद और 7-8 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी। आरोप है कि जब आरोपी तालाब में मछली पकड़ रहे थे, तो घायल व्यक्ति वहां आया और उन्हें मछली पकड़ने से मना किया, जिस पर आरोपियों ने धारदार हथियारों, रॉड और डंडे से उस पर हमला कर दिया। वकील का यह भी कहना है कि घायल व्यक्ति को एक चोट आई थी क्योंकि भीड़ ने उसका पीछा किया और उस पर हमला किया; ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने तालाब में मछली पकड़ रहे सह-आरोपी प्रवीण पटेल पर गोली चलाई थी। इस घटना के संबंध में उसके पिता ने 29.10.2025 को रात लगभग 11:00 बजे एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके अलावा यह भी बताया गया कि घायल व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लिया गया और उसके पास से देसी पिस्तौल बरामद की गई। आवेदक नंबर 2 का आपराधिक इतिहास है, जिसमें वह जमानत पर है; अन्य आवेदकों का भी एक आपराधिक मामला है, जो पुलिस ने इस मामले में उन्हें भगोड़ा घोषित करते हुए दर्ज किया था। आवेदकों ने खुद अदालत के सामने सरेंडर किया था। चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। मुकदमे की कार्यवाही अभी शुरुआती चरण में है। आवेदक 25.12.2025 से जेल में हैं और इसलिए, वे जमानत पर रिहा होने की मांग कर रहे हैं।

4. शिकायतकर्ता के वकील और राज्य की ओर से ए.जी.ए. ने आवेदकों की जमानत की अर्जी का विरोध किया और कहा कि घायल व्यक्ति के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और उसका इलाज अभी भी चल रहा है। आरोपियों ने घायल व्यक्ति के सिर पर हमला किया था, जिससे उसे सिर में कई चोटें आईं और फ्रैक्चर हुआ। आवेदक गिरफ्तारी से बचकर भाग रहे थे, जिसके कारण पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया शुरू की और उन्हें गिरफ्तार किया गया; इसलिए, जमानत की अर्जी खारिज किए जाने योग्य है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. इस न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार किया है और पत्रावली का अवलोकन किया है।
6. यह देखते हुए कि घायल को सिर पर एक गंभीर चोट आई थी जो घातक प्रकृति की है, किंतु आरोपी-आवेदक पर कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है, और प्राथमिकी का विभिन्न संस्करण भी मौजूद है जिससे यह प्रकट होता है कि घायल ने स्वयं गोली चलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप एक सह-आरोपी घायल हो गया।
7. अतः, मामले के गुणा-अवगुण को छुए बिना, ज़मानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
8. संबंधित न्यायालय के समाधान हेतु उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत मुचलका और दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर, सुप्रीम कोर्ट के 'गिरीश गांधी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' [(2024) 10 एससीसी 674] तथा 'ज़मानत देने की नीति और रणनीति' [(2024) 10 एससीसी 685] मामलों में दिए गए दिशा-निर्देशों के आलोक में, उपर्युक्त मामले में अभियुक्त/आवेदकों को ज़मानत पर रिहा किया जाए।
9. आरोपी-आवेदकों को मामले के निष्पक्ष और शीघ्र निपटारे के लिए न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना होगा।
10. आरोपी-आवेदक शिकायतकर्ता या घायल व्यक्ति को डराने-धमकाने वाली किसी भी तरह की हरकत नहीं करेंगे।

(न्यायमूर्ति अविनिश सक्सेना)

12 अगस्त 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



शिवांगी

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”